शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांकः 7 ई0–सामु0सह0/एस0एम0सी0 प्रशि0/4010/2016–17 दिनांक 29 नवम्बर, 2016

विषयः–वर्ष 2016–17 में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 में एस0एम0सी0 के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त अनुमोदन के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 द्वारा प्राविधानित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 13 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः 1330/2016–17 दिनांक 28 जून, 2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदों के परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु निर्देशित किया गया था।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 में विद्यालय प्रबन्ध समितियों को उनके कर्तव्यों एंव दायित्वों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति से 6 सदस्यों का 03 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण न्यायपंचायत स्तर पर कराया जाना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति सदस्य प्रति दिन रू0 100/– की दर से अनुमोदित किया गया है। विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 28,82,97,000 (रूपये अट्ठाइस करोड़ बयासी लाख सतानबे हजार मात्र) की धनराशि जनपदों को हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के 6 सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जनपदवार धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	विद्यालय प्रबन्ध समितियों की संख्या			भौतिक लक्ष्य (प्रति एस.एम.सी. 06 व्यक्ति)	जनपदों को अवमुक्त बजट (रूपये लाख में)
		परिषदीय विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	के0जी0बी0वी0	कुल		
1	2	3	4	5	6	7
1	Agra	2957	13	2970	17820	53.460
2	Aligarh	2478	13	2491	14946	44.838
3	Allahabad	3478	20	3498	20988	62.964
4	Ambedkar Nagar	1872	8	1880	11280	33.840
5	Auraiya	1516	0	1516	9096	27.288

दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई-मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब-साइटः www.upefa.com

6	Azamgarh		3250	21	3271	19626	58.878
7	Badaun		2458	18	2476	14856	44.568
8	Baghpat		674	2	676	4056	12.168
9	Bahraich		3485	15	3500	21000	63.000
10	Balia		2685	16	2701	16206	48.618
11	Balrampur		2220	11	2231	13386	40.158
12	Banda		2035	8	2043	12258	36.774
13	Barabanki		3017	15	3032	18192	54.576
14	Bareilly		2892	18	2910	17460	52.380
15	Basti		2386	13	2399	14394	43.182
16	Bhadohi		1117	5	1122	6732	20.196
17	Bheem Nagar		1532	10	1542	9252	27.756
18	Bijnor		2556	14	2570	15420	46.260
19	Buland Shahar		2415	16	2431	14586	43.758
20	Chandauli		1463	9	1472	8832	26.496
21	Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar		1785	13	1798	10788	32.364
22	Chitrakoot		1435	4	1439	8634	25.902
23	Deoria		2621	13	2634	15804	47.412
24	Etah		1935	8	1943	11658	34.974
25	Etawah		1780	2	1782	10692	32.076
26	Faizabad		2112	10	2122	12732	38.196
27	Farrukhabad		1856	5	1861	11166	33.498
28	Fatehpur		2650	10	2660	15960	47.880
29	Firozabad		2157	3	2160	12960	38.880
30	Gautam Budha Nagar		685	3	688	4128	12.384
31	Ghaziabad		594	3	597	3582	10.746
32	Ghazipur		2758	14	2772	16632	49.896
33	Gonda		3150	17	3167	19002	57.006
34	Gorakhpur		2983	20	3003	18018	54.054
35	Hamirpur		1184	7	1191	7146	21.438
36	Hardoi		3860	20	3880	23280	69.840
37	Hathras (Mahamaya Nagar)		1513	6	1519	9114	27.342
38	Jalaun		1794	8	1802	10812	32.436
39	Jaunpur		3294	19	3313	19878	59.634
40	Jhansi		1766	9	1775	10650	31.950
41	Jyotiba Phule Nagar		1558	8	1566	9396	28.188
42	Kannauj		1653	5	1658	9948	29.844
43	Kanpur Dehat		2278	1	2279	13674	41.022
44	Kanpur Nagar		2225	0	2225	13350	40.050
45	Kanshi Ram Nagar		1486	8	1494	8964	26.892
46	Kaushambi		1422	8	1430	8580	25.740
47	Kushi Nagar		3003	14	3017	18102	54.306
48	Lakhimpur Kheri		3863	16	3879	23274	69.822
49	Lalitpur		1544	6	1550	9300	27.900

50	Lucknow	1840	8	1848	11088	33.264
51	Maharajganj	2124	13	2137	12822	38.466
52	Mahoba	1025	4	1029	6174	18.522
53	Mainpuri	2189	3	2192	13152	39.456
54	Mathura	1949	10	1959	11754	35.262
55	Mau	1502	5	1507	9042	27.126
56	Meerut	1342	5	1347	8082	24.246
57	Mirzapur	2210	10	2220	13320	39.960
58	Moradabad	1777	9	1786	10716	32.148
59	Muzaffar Nagar	1263	8	1271	7626	22.878
60	Panchsheel Nagar	635	5	640	3840	11.520
61	Pilibhit	1837	9	1846	11076	33.228
62	Prabuddha Nagar	752	4	756	4536	13.608
63	Pratapgarh	2749	15	2764	16584	49.752
64	Rai Bareilly	2813	16	2829	16974	50.922
65	Rampur	1945	7	1952	11712	35.136
66	Saharanpur	2070	9	2079	12474	37.422
67	Sant Kabir Nagar	1539	7	1546	9276	27.828
68	Shahjahanpur	3198	16	3214	19284	57.852
69	Siddharth Nagar	2664	13	2677	16062	48.186
70	Sitapur	4197	20	4217	25302	75.906
71	Sonebhadra	2477	9	2486	14916	44.748
72	Srawasti	1279	5	1284	7704	23.112
73	Sultanpur	2054	12	2066	12396	37.188
74	Unnao	3152	13	3165	18990	56.970
75	Varanasi	1407	6	1413	8478	25.434
	TOTAL	**159419**	**746**	**160165**	**960990**	**2882.970**

संदर्भदाताओं का उन्मुखीकरण

- विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित प्रति ब्लॉक 06 संदर्भदाताओं का जनपद स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कराया जाये तथा जनपहल माड्यूल में दिये गये सत्रों पर चर्चा करते हुए 03 दिवसीय प्रशिक्षण की सत्र योजनायें तैयार की जाये। संदर्भदाताओं का उन्मुखीकरण डायट कैम्पस में आयोजित कराये जाने को प्राथमिकता दी जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समितियों के 06 सदस्यों का न्यायपंचायत स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण

- न्यायपंचायत स्तर पर न्याय पंचायत प्रभारी की देखरेख में प्रत्येक विद्यालय के विद्यालय प्रबन्ध समितियों के 06 सदस्यों का 03 दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण कराया जाना है।

प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

- विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वयों का निर्वाहन अधिनियम के अनुरूप कर सकें।
- बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना एवं गठन, विद्यालय विकास योजना तैयार कर सके।
- विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों में अहम योगदान दे सके जिससे बच्चों की शिक्षा एवं विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मिल सके यथा – एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर,

दिव्यांग बच्चे (CWSN), हाउस होल्ड सर्वे, यू–डायस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़े भारत बढ़े भारत, स्वच्छ भारत अभियान, विद्यालय का सोशल ऑडिट, जन पहल रेडियो कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय स्वस्थ कार्यक्रम एवं स्कूल में बच्चों की सुरक्षा हेतु गाईडलाईन की जानकारी, अभिलेखों का रखरखाव, वित्तीय रखरखाव, तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति का ग्राम शिक्षा समिति, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य विभागों से समन्वय कर सकें।

बजट का विवरण–

- प्रशिक्षण हेतु इकाई लागत प्रति प्रतिभागी यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, भोजन, व मानदेय आदि मद में रू0 100/– प्रति दिन की दर से 03 दिनों के लिए अनुमन्य है।

प्रशिक्षण के प्रतिभागी–

- प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर गैर–आवासीय होगा जिसमें प्रत्येक एस0एम0सी0 के 06 निम्नवत् सदस्य प्रतिभाग करेगें–
  - सदस्य सचिव – 01
  - अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष – 02
  - अभिभावक सदस्य (कम से कम दो महिलायें) – 03

प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश–

- राज्य स्तर पर पूर्व में प्रशिक्षित संदर्भदाताओं की एक दिवसीय बैठक कर जनपहल प्रशिक्षण माड्यूल पर आधारित प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की जाये।
- जनपद में गत वर्ष एस0एम0सी0 के प्रशिक्षण में योगदान देने वाले संदर्भदाताओं का जिला स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण करा लिया जाये जिसमें 03 दिवसीय प्रशिक्षण रूपरेखा के साथ ही न्याय पंचायतवार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार कर ली जाये।
- प्रत्येक न्याय पंचायत पर आयोजित प्रशिक्षण में कम से कम 02 संदर्भदाता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- प्रशिक्षण की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक न्यायपंचायत प्रभारियों की बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण प्रशिक्षण की रूपरेखा से अवगत कराते हुए शेड्यूल की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
- जनपद स्तर पर एस0एम0सी0 के चयन में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान कर चुके एन0जी0ओ0 से सहयोग यथा आवश्यकतानुसार लिया जाये। सम्बन्धित एन0जी0ओ0 को उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का धनराशि/भुगतान देय नहीं होगा। उक्त संस्था स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर यदि प्रशिक्षण में सहयोग करती है तो उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।
- प्रशिक्षण की कार्ययोजना से सभी न्याय पंचायत प्रभारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी व प्रशिक्षकों को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता का होगा।
- प्रशिक्षण का नियोजन इस प्रकार किया जाये कि प्रत्येक बैच में 36 प्रतिभागी से अधिक न हो।
- प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्थायें यथा प्रशिक्षण सामग्री, बैनर, प्रशिक्षण स्थल की साफ सफाई व साज–सज्जा, प्रतिभागियों को सूचना आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाये।

- ➢ प्रशिक्षण की धनराशि सम्बन्धित न्याय पंचायत समन्वयक /प्रभारी के माध्यम से व्यवहृत की जायेगी। अतः न्याय पंचायतवार आगणन कर आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित खाते में हस्तांतरित करते हुए उन्हें सूचित किया जाये ताकि वे समस्त आवश्यक व्यवस्थायें ससमय करा सकें।
- ➢ जनपद की प्रशिक्षण की रूपरेखा तथा समय सारिणी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

समय सारिणी–

- ➢ संदर्भदाताओं का उन्मुखीकरण – 25 से 30 नवम्बर 2016 के मध्य।
- ➢ विद्यालय प्रबन्ध समितियों का प्रशिक्षण – 01 दिसम्बर, 2016 से 31 जनवरी 2017 के मध्य।

प्रशिक्षण का अनुश्रवण

- ➢ प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण दिनांक जनवरी 2017 तक पूर्ण कराया जाये तथा दिनांक 10 फरवरी 2017 तक लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण का विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- ➢ प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अनुश्रवण कमेटियों का गठन कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग करायी जाये। ब्लॉक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण का सघन अनुश्रवण किया जाये तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये।
- ➢ जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता व अन्य जिला समन्वयकों की जनपद स्तर पर अनुश्रवण टीम बनायी जाये जो औचक निरीक्षण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करायें।
- ➢ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में स्वयं भी प्रशिक्षण का स्थलीय निरीक्षण किया जाये।
- ➢ प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित दिनांक 20 मार्च, 2017 राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण संचालन समय सारिणी के अनुसार किया जाये तथा जनपदवार प्रशिक्षण के भौतिक लक्ष्य एवं व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रत्येक माह दिनांक 10 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें –

क्र0 सं0	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण हेतु कुल सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सदस्यों की कुल संख्या	कुल व्यय धनराशि (रू0 में)

प्रबन्ध समितियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत गतिविधि/कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

भवदीय

28/XI

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: 7 ई0–सामु0सह0 / एस0एम0सी0 प्रशि0 /4010/ 2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल।
4. सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, हजरतगंज, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि रू0 2882971000/- चेक संख्या 792499 दिनांक 25-11-16 के माध्यम से संलग्न सूची के अनुसार खाते में धनराशि तत्काल स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद।
6. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद।
7. जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता, सर्व शिक्षा अभियान।

28/XI 2016

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
राज्य परियोजना निदेशक